



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

!! आदेश !!

क्रमांक 225
दिनांक 28/04 / 2012

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 35वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 के पद संख्या क्रमांक 15 पर पारित संकल्प क्रमांक 969-15/35/04/2012 में लिये गये निर्णय के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक 110/12/वित्त/नियम/चार/ रायपुर, दिनांक 07 अप्रैल 2012 को मण्डल में लागू करते हुए, मण्डल के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 58% पुनरीक्षित महंगाई राहत का लाभ शासन के आदेश के अनुरूप दिनांक 01.04.2012 से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

| अवधि जब से देय है | महंगाई राहत की दर का प्रतिशत |
|---|----------------------------------|
| दिनांक 01.04.2012 (माह अप्रैल 2012 की पेंशन/परिवार पेंशन जो माह मई 2012 में देय होगी) | पेंशन/परिवार पेंशन का 58 प्रतिशत |

मण्डल के आदेशानुसार

अयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
रायपुर

रायपुर, दिनांक 28/04 / 2012

पृ. क्रमांक / 1875 / आ.आ. / ले.शा. / 12
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
5. उपायुक्त-I (योजना) / II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
8. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग / परि.संभाग
11. आयुक्त नगर पालिक निगम
12. आदेश नस्ती / गार्ड फाईल ।

अयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
रायपुर

4/2/2012

3/24/12